

04-2022
पत्र

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

कमलाबाई बनाम आराधन

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 125/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>कमलाबाई</u></p> <p>पिता श्री <u>मोती राम जी बाह्या</u></p> <p>निवासी- <u>तुम्बडिया वोरह (14)</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>रोजडा (पण्डित तुम्बडिया)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>265, 266, 267, 272, 273, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 289, 290, 292/956, 320, 343, 344, 345, 346</u> कुल कीता <u>19</u> कुल रकबा <u>5.3500</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>रोजडा (पण्डित तुम्बडिया)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>265, 266, 267, 272, 273, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 289, 290, 292/956, 320, 343, 344, 345, 346</u> कुल कीता <u>19</u> रकबा <u>5.3500</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000/-</u> रुपये अक्षरे <u>दा एजारे रजिस्ट्रार</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(<u>रामचन्द्र खटीक</u>) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>